




क्रमांक: अधिष्ठाता / छात्रवृत्ति / 2020-21 / Non-Net Ph.D/3374 दिनांक 18.01.2021
21

// सूचना //


समस्त संकायाध्यक्षों / विभागाध्यक्षों / निदेशकों के माध्यम से Non-Net Ph.D के सत्र 2016-17 से 2019-20 तक के शोधार्थियों को सूचित किया जाता है जिन शोधार्थियों ने अभी तक आकस्मिक निधि (Contingency Bill) बिल प्रस्तुत नहीं किये है, वे शोधार्थि 05 फरवरी 2021 के उपस्थिति पत्रक के साथ आकस्मिक निधि (Contingency Bill) प्रस्तुत करें, जिससे समय से भुगतान हो सके ।

शोधार्थियों द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं होने के कारण उनको आकस्मिक निधि (Contingency Bill) भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा, जिसकी पूर्ण जबाबदेही संबंधित विभाग एवं शोधार्थियों की होगी, छात्रवृत्ति शाखा की नहीं। समस्त निदेशकों से आग्रह है कि समस्त बिलों को प्रमाणित करें ।


अधिष्ठाता
(छात्र कल्याण)

प्रतिलिपि-

01. माननीय कुलपति महोदय जी के निज सचिव को सूचनार्थ ।
02. माननीय कुलसचिव महोदय जी, के सहायक कुलसचिव को सूचनार्थ ।
03. समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / निर्देशक, को सूचनार्थ ।
04. विश्वविद्यालय वेब साइट ()


संयुक्त कुलसचिव
(छात्रवृत्ति शाखा)